आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023[1]

[20.08.2025 के अनुसार अद्यतित]

आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 54 की उप-धारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को आधार (अधिप्रमाणन के पालन हेतु फीस का भुगतान) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख[2] से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित हैं, के अभिप्राय वही होंगे जो क्रमशः अधिनियम, नियमों या अन्य विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, में समनुदेशित हैं।

3. अधिप्रमाणन के लिए फीस.—(1) यदि प्राधिकरण की ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करके केयूए या सब-केयूए द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित उत्तर ऐसे केयूए या सब-केयूए को वापस भेज दिया जाता है, जिसमें—

(क) अधिप्रमाणन संव्यवहार से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों सहित ई-केवाईसी डेटा अंतर्विष्ट है, जहां वह केयूए या सब-केयूए—

(i) एक दूरसंचार सेवा प्रदाता है, एक रुपए की फीस; और
(ii) एक दूरसंचार सेवा प्रदाता से इतर है, तीन रुपए की फीस;

(ख) खंड (क) में संदर्भित से इतर है, पचास पैसे की फीस,

उक्त केयूए या सब-केयूए, जैसी भी स्थिति हो, को प्रभार्य होगी और प्राधिकरण को देय होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम [3][और उप-विनियम (5)] के प्रयोजनार्थ, "दूरसंचार सेवा प्रदाता" का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के तहत एक्सेस सेवाओं के लिए प्राधिकार प्राप्त यूनिफाईड लाइसेंस का धारक या यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज लाइसेंस का धारक है।

(2) यदि प्राधिकरण की हां/नहीं अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करके एयूए या सब-एयूए द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने पर, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रतिक्रिया ऐसे एयूए या सब-एयूए को लौटा दी जाती है, तो पचास पैसे का फीस उक्त एयूए या सब-एयूए, जैसी भी स्थिति हो, को प्रभार्य होगी और प्राधिकरण को देय होगी।

---

[1] भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 29.9.2023 में अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ-II(ई) के द्वारा प्रकाशित किया गया था (दिनांक 3.10.2023 से प्रभावी) और बाद में अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ-II(खंड-1)/कंप्यूटर संख्या 12972 (ई), दिनांक 20.8.2025 के द्वारा संसोधित किया गया।

[2] दिनांक 3.10.2023 से प्रभावी

[3] अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.II(ई), दिनांक 31.01.2024 द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

[4](2क) जहां पूर्व में प्रस्तुत किए गए किसी आधार नंबर के बाद में लोप या निष्क्रिय या पुनः सक्रिय किए जाने पर, उसकी स्थिति के संबंध में अद्यतन के साथ अधिप्रमाणन करने के लिए अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा प्राधिकरण के साथ कोई समझौता ज्ञापन या अनुबंध किया गया है, ऐसे आधार नंबरों का अधिप्रमाणन करने के संबंध में ऐसे अद्यतन के रूप में प्राधिकरण द्वारा की गई किसी उत्तरवर्ती किसी प्रतिक्रिया के लिए, उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट एक फीस ऐसे प्रत्येक अद्यतन के लिए ऐसी अनुरोधकर्ता संस्था पर प्रभार्य होगीः परंतु यह कि ऐसी कोई फीस नहीं ली जाएगी, जहां अनुरोधकर्ता संस्था प्राधिकरण को ऐसी सूचना प्रदान करती है जो आधार नंबर के निष्क्रियण के लिए प्रासंगिक है। परंतु और यह कि, जहां ऐसा अद्यतन सीआईडीआर में आधार नंबर धारकों की सूचना के अनुरक्षण करने, सीआईडीआर में सतत परिशुद्धता के लिए, उसके वर्तमान ब्यौरों को अद्यतीकृत करने, आधार नंबरों की सूचना का प्रसंस्करण करने और सीआईडीआर में जांच करने सहित, जो प्राधिकरण के कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के हित में हो, प्राधिकरण, आदेश द्वारा, ऐसी फीस को ऐसी सीमा तक अधित्यजित कर सकेगा जैसी कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) उप-विनियम (1), (2) [5]और (2क) में विनिर्दिष्ट फीस—

(क) लागू करों सहित होगी;

(ख) जिस कैलेंडर माह में आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 प्रवृत्त हुआ, उसकी समाप्ति से चौबीस कैलेंडर महीनों की प्रत्येक अवधि के पूरा होने पर, ऐसी अवधि की समाप्ति के कैलेंडर माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुपात के समानुपात में, निकटतम दस पैसे तक पूर्णांकित हो, पुनरीक्षित होगी :

परंतु यह कि प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे पुनरीक्षण को ऐसी अवधि तक आस्थगित कर सकेगा जैसी वह विनिर्दिष्ट करे; और

(ग) केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से अधिप्रमाणन सुविधा के उपयोग के संबंध में प्रभार्य नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-विनियम [6][और उप-विनियम (5)] के प्रयोजनार्थ, "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" का अभिप्राय समय-समय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) होगा।

[(4) [***]]

[(5) [***]][7]

---

[4] अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ-II खंड (1)/कंप्यूटर संख्या 12972 (ई), दिनांक 20.8.2025 के द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

[5] अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ-II खंड (1)/कंप्यूटर संख्या 12972 (ई), दिनांक 20.8.2025 के द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

[6] अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.II(ई), दिनांक 31.01.2024 के द्वारा अंत:स्थापित किया गया।

[7] अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ-II खंड (1)/कंप्यूटर संख्या 12972 (ई), दिनांक 20.8.2025 के द्वारा उप-विनियम 4 और 5 का लोप किया गया।

4. फीस के भुगतान के लिए समय. —(1) विनियम 3 के अंतर्गत प्रभार्य फीस इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा चालान जारी करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर देय होगी।

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित अवधि की समाप्ति के बाद, विनियम 3 के अंतर्गत प्रभार्य फीस के भुगतान में किसी भी देरी पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा, जो मासिक रूप से चक्रवर्धित होगा।

(3) विनियम 3 में संदर्भित कोई भी केयूए, सब-केयूए, एयूए या सब-एयूए, जिसने यहां उल्लिखित अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग समाप्त कर दिया है, प्राधिकरण को ऐसी समाप्ति की सूचना देगा:

परंतु यह कि विनियम 3 में विनिर्दिष्ट फीस केयूए, सब-केयूए, एयूए या सब-एयूए, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रमाणीकरण सुविधा के ऐक्सेस को त्यागने तक और ऐसी ऐक्सेस के निष्क्रिय होने तक प्रभार्य बनी रहेगी।

[8]**[5. प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित कार्य या बात को करना**.—(1) ऐसा कोई कार्य या बात जो प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है, प्राधिकरण के ऐसे सदस्य या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है जिसे प्राधिकरण ने संबंधित शक्ति या कृत्य, अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत, सामान्य या विशिष्ट लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया है।

(2) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) के अंतर्गत एक सदस्य, अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य या बात उक्त उप-विनियम में निर्दिष्ट प्रत्यायोजित शक्ति या कृत्य से संबंधित है या नहीं, अवधारित कर सकेगा।]

[8] अधिसूचना संख्या एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.II(ई), दिनांक 31.01.2024 के द्वारा अंत:स्थापित किया गया।